भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 156

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

रोजगार सृजन हेतु योजनाएं

156. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी नियंत्रित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं और उक्त अवधि के दौरान कितने युवाओं को रोजगार मिला;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सृजित और उपलब्ध कराई गई नौकरियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

देश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (युवाओं सहित) अनुबंध-I में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को समर्थन देने, सभी क्षेत्रों में नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और युवाओं (15-29 वर्ष) हेतु रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

(% में)

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (15 वर्ष और उससे अधिक)	डब्ल्यूपीआर (15 – 29 वर्ष)
2020-21	52.6	36.1
2021-22	52.9	36.8
2022-23	56.0	40.1
2023-24	58.2	41.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों तथा युवाओं (15-29 वर्ष) के रोजगार दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में पिछले वर्षों में वृद्धि हो रही है।

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पीएलएफएस की रिपोर्टों में उपलब्ध है और इसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 30.06.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.2 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, रोजगार गंवाने वाले बीमित कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है।

*****

अनुबंध-।

लोक सभा के दिनांक 21.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय योजनाओं में रोजगार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (ऋण खातों की संख्या))	5,37,95,526	6,23,10,598	6,67,77,013
2	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या)	9,88,275	13,31,983	42,38,329
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या)	8,25,752	6,81,336	7,12,944
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (सृजित मानव दिवसों की संख्या लाख में)	36310.21	29561.65	31226.02
5	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	45,612	1,58,130	1,58,096
6	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	14,796	21,110	23,835
7	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	63,519	1,20,478	40,923

स्रोत: संबंधित मंत्रालय